न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 151/2014

निर्णय दिनांक :–19.07.19

उनवानी दावा :

1. बरधा पुत्र हरनाथ जाति मीणा निवासी सारदडा तहसील देवली हाल निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डौली जिला–बूंदी
2. बरधी पुत्री हरनाथ जाति मीणा निवासी सारदडा तहसील देवली हाल निवासी हरमाली का खेडा तहसील हिण्डौली जिला–बूंदी

– वादीगण –

बनाम

1. नन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी सारदडा तहसील देवली जिला–टोंक
2. श्योजी पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सारदडा तहसील देवली जिला–टोंक
3. कैलाश पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सारदडा तहसील देवली जिला–टोंक
4. शंकर पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी सारदडा तहसील देवली जिला–टोंक
5. भग्गा पुत्री भूरा पत्नी रामलाल जाति मीणा निवासी दातांढाणी तहसील देवली जिला–टोंक
6. मसरी पुत्री भूरा पत्नी फूलसिंह जाति मीणा निवासी दातांढाणी तहसील देवली जिला–टोंक
7. कमला पुत्री भूरा पत्नी प्रभू जाति मीणा निवासी कल्याणपुरा तहसील देवली जिला–टोंक
8. तहसीलदार देवली

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

तहसीलदार देवली
प्रतिवादी संख्या 1 व 2
एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 3

दावा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता हरनाथ पुत्र राधू जाति मीणा को खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन ख0नं0 102 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम सारदडा तहसील देवली स्थित है। जिसका वादीगण का पिता खातेदार, काबिज, काश्तकार था। वादीगण के पिता हरनाथ का देहान्त हो चुका है। वादीगण के पिता के एक पुत्र ओर एक पुत्री है जो उक्त वाद में वादीगण है वादीगण के अलावा मृतक हरनाथ के अन्य कोई जाईन्दा जीवित वारिसान नहीं है। वादीगण वर्तमान में हरमाली का खेडा, तहसील–हिण्डोली, में रहते है तथा उपरोक्त वर्णित आराजीयात को आधोली पर काश्त करवाते है उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 ता 7 के पिता भूरा ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश रचकर स्वयं को मृतक हरनाथ का पुत्र बताते हुए वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद स्वयं के नाम विरासत का नामान्तकरण खुलवा लिया जब कि नन्दा एवं भूरा मृतक हरनाथ पुत्र राधू के जायज वारिस नहीं है बल्कि वादीगण ही मृतक हरनाथ पुत्र राधू

मीणा के जायज वारिस है। वादीगण की ग्राम रानीपुरा, तहसील–हिण्डोली में भी जमीन है जिसमें वादीगण के पिता हरनाथ पुत्र राधू भी 1/3 हिस्से के खातेदार काबिज काश्तकार थे उनकी मृत्यु के बाद उक्त जमीन में हरनाथ की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम ही खोला गया है। इससे साफ जाहिर है कि वादीगण मृतक हरनाथ पुत्र राधू के जाईज वारिसान है। वादी नं0 1 बिरधा भारतीय सेना का रिटायर्ड मिट्रीमेन है उसके सारे सर्विस रिकार्ड में भी वादी नं0 1 के पिता का नाम हरनाथ पुत्र राधू अंकित है। प्रतिवादी नं0 2 ता 7 के पिता भूरा का देहान्त हो गया है लेकिन अभी तक भूरा की फोती का नामान्तकरण उसके वारिसान के नाम नहीं खोला गया है प्रतिवादी सं0 2 ता 7 मृतक भूरा के जायज वारिसान है इस कारण उन्हे पक्षकारान बनाया गया है। वाद पत्र का चरण नं0 1 में वर्णित आराजीयात ख0नं0 102 वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है प्रतिवादी नं0 1 व 2 ता 7 के पिता भूरा ने राजस्व कर्मचारियों से साजिश रचकर हरनाथ पुत्र राधू की फोती का नामान्तकरण गलत है उक्त नामान्तकरण वादीगण के हितो के विपरित है वादीगण मृतक हरनाथ के जायज कायम मुकामान है इस कारण वादीगण को हाल ख0नं0 102 वाके ग्राम सारदडा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का श्रीमान् की सेवा में पेश है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करते है इस कारण उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा भी पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर–चाकर के वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें तथा उनके नाम जो अवैध अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रखा है इस कारण उक्त भूमि विवादग्रस्त को अन्य किसी को रहन,दान, बेचान नहीं करें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल मीणा ने जवाब पेश नहीं करने व न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 से 2 पेश किये। दस्तावेज प्रदर्श कराये। साक्ष्य शपथपत्र पी. डब्लयू–1 से 2 में दोनो साक्ष्यों ने वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वाद के अनुसार वादीगण के पिता हरनाथ पुत्र राधू जाति मीणा की खातेदारी व कब्जेकाश्त की जमीन ख. नं. 102 रकबा 0.63 है0 वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद फौती नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 ता 7 के नाम खोल दिया। इसके लिए अधिवक्ता वादी नें प्रदर्श–4 खतोनी जमाबन्दी खाता सं. 149 के कॉलम 4 में हरनाथ पुत्र राधू जाति मीणा ख. नं. 102 रकबा 0.63 है0 है तथा इसी जमाबन्दी में हरनाथ के फौत होने के बाद विरासत का नामान्तकरण भूरा नन्दा के नाम खुला हुआ है। प्रदर्श–1 जमाबन्दी 2068–71 भूरा नन्दा पि. हरनाथ मीण सा. देह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श –3 जमाबन्दी 2067–70 ग्राम रानीपुरा जिला बून्दी में भूरा नन्दा पि. जगन्नाथ व हरनाथ पिता राधा दर्ज है। प्रदर्श–5 ग्राम पंचायत सांवतगढ तहसील हिण्डोली दिनांक 05.02.18

में बरधा पुत्र हरनाथ व बरधी बाई पुत्री हरनाथ दर्ज है। प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 ग्राम रानीपुरा के कॉलम 4 में भूरा नन्दा पि. जगन्नाथ व बरध पुत्र हरनाथ , बरधी पुत्री हरनाथ दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त दस्तावेजात से सिद्ध है कि बरधा व बरधी हरनाथ के जायज वारिसान है। अतः वादीगण को ख. नं. 102 रकबा 0.63 है0 ग्राम सारदड़ा तहसील देवली का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड करे। तद्नुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 19.07.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली